

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग
आदेश

श्री सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, गोड्डा द्वारा उक्त प्रमण्डल में पदस्थापन अवधि में कराये गये मालभिट्टा नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम का निर्माण कार्य की जाँच विभागीय उड़नदस्ता से करायी गयी। उड़नदस्ता द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में अधिकारी भुगतान/अनियमितता की पुष्टि के आलोक में श्री उपाध्याय, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सम्प्रति सेवानिवृत्त से स्पष्टीकरण की माँग की गयी।

2. श्री उपाध्याय, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, सम्प्रति सेवानिवृत्त से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी। श्री उपाध्याय द्वारा अपने स्पष्टीकरण में कहा गया है कि उक्त योजनाओं का अंतिम विपत्र उनके सेवानिवृत्ति के बाद किया गया है जिससे अधिकारी व्यय का आरोप सिद्ध नहीं होता है।

सम्यक् समीक्षोपरान्त श्री सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत्त के स्पष्टीकरण को स्वीकार करते हुए उन्हें आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया जाता है।

अतएव एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


ह०/-

(विनय कुमार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 1077 राँची/दिनांक 12-02-18

प्रतिलिपि :- उप सचिव, (प्र०) जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / श्री सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय, M/12, सनसाईन इनक्लेव, एम०जी०एम० रोड, डिमना, पो०-एम०जी०एम०, मानगो, जमशेदपुर/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। ✓



(विनय कुमार)

सरकार के अवर सचिव